

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2016 ⁄फाल्गुन 26, 1937
No. 678]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016/PHALGUNA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

का.आ. 1140(अ).—जबिक, हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में 'रीसस मकाक' की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती-बाड़ी के नष्ट होने सहित जीवन और संपत्ति का नुकसान होने की सूचना दी है :—

और जबिक, केन्द्र सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझा है।

इसलिए, अब केंद्र सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की 'अनुसूची ।। के भाग । की क्रम सं 17-ए पर सूचीबद्ध रीसस वानर (मकाका मुलाटा) के इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के लिए वन क्षेत्रों को छोड़कर, शिमला नगर निगम सीमाओं के अंतर्गत पीड़क जंतु के रूप में और इसे उक्त अधिनियम की अनुसूची v में शामिल किए जाने की घोषणा करती है।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यूएल-। (पीटी)]

विनोद रंजनए, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

1324 GI/2016 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2016

S.O. 1140(E).—Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, hereby declare the Rhesus macaque (*Macaca mulatta*) listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, to be vermin and to be included in Schedule V of the Act, for a period of six months from the date of issue of this notification, in the Shimla Municipal Corporation Area limits, excluding the forest areas.

[F. No. 1-26/2015-WL-I (pt)]

VINOD RANJAN, Addi. Director General of Forests (WL)